उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-7/2018/2772/37-1-2017-3(66)/2014

लखनऊ: दिनांक: 04 जनवरी, 2018

कार्यालय-आदेश

डा0 वी0के0 मलिक, तत्कालीन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पीलीभीत (निलम्बित) के विरूद्ध बार्डर एरिया डवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत पशु अडगडों के क्रय एवं फिक्सिंग में शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों के विपरीत कार्य कर साजिश के तहत धनराशि का बंदरबाट करने, बार्डर एरिया डवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत पशु चिकित्सा एवं बाँझपन निवारण शिविर के आयोजन में शासनादशों एवं वित्तीय नियमों के विपरीत कार्य कर साजिश के तहत धनराशि का बंदरबाँट करने तथा बार्डर एरिया डवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रायलर यूनिट तथा बकरी यूनिट की स्थापना में शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों के विपरीत कार्य कर साजिश के तहत धनराशि का बंदरबाँट करने इत्यादि आरोप के लिए कार्यालय आदेश संख्या 3098/37-1-2015-3(66)/2014, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा निलम्बित करते हुये कार्यालय आदेश संख्या 3099/37-1-2015-3(66)/2014, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये संयुक्त निदेशक (प्रशासन) को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया।

2- जाँच अधिकारी की जाँच आख्या उनके पत्र संख्या-93/वै0सहा0/सं0नि0(प्रशा0)/ 2017-18, दिनांक 12-7-2017 द्वारा प्राप्त हुई। जाँच अधिकारी की जाँच आख्या में डा0 वी0के0 मलिक, तत्कालीन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पीलीभीत (निलम्बित) के विरूद्ध लगाये गये 04 आरोपों में से आरोप संख्या-01 आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया। अत: सिद्ध पाये गये आरोप के दृष्टिगत डा0 वी0के0मलिक, तत्कालीन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पीलीभीत को भर्त्सना/परिनिन्दा का लघु दण्ड प्रदान करते हुये सेवा में बहाल कर उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या-7/2018/2772(1)/37-1-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, लखनऊ/मिर्जापुर मण्डल।
4- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in